न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14/2018
प्रविष्टि दिनांक 12–1–2018

लड्डूलाल पुत्र गोपाल मीणा निवासी ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 —अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक —रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 18–9–2017

उपस्थिति : (1) श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी अभिभाषक अपीलान्ट (अनुपस्थित)
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

दिनांक 25–11–2021

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 18–9–2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोशनपुरा तह0 उनियारा में राजकीय भूमि के रास्ते पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के वितरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पारित निर्णय में यह तो अंकित कर दिया कि प्रकरण सं0 232/17 से बे[illegible] दिया परन्तु उस पत्रावली का इस पत्रावली में कोई दस्तावेज [illegible] उक्त दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है। अपीलान्ट को एक मात्र गवाह हल्का प[illegible] से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया तथा किसी भी साक्ष्य की साक्ष्य पर तब तक विश्वास नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

जा सकता जब तक की उसको प्रतिपरीक्षा से नहीं गुजरना पड़े तथा इस मामले में साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। जिससे भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोशनपुरा पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है न ही पूर्व में कोई कब्जा किया हैं हल्का पटवारी ने बिना कब्जे के ही अपीलान्ट के विरूद्व रिपोर्ट करदी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट के साथ न्याय किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोशनपुरा तह0 उनियारा में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पक्का मकान व बाड़ा बना कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 57/16 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोशनपुरा तह0 उनियारा में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पक्का मकान व बाड़ा बना कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 57/16 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने पत्र कमांक 619 दिनांक 8–8–2017 से उक्त रास्ते की भूमि के अतिक्रमण बाबत सख्त कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये थे तत्पश्चात नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित किया गया हैं। एसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 18–9–2017 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested